

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना सं० - 2/अ०प्र०-1-01/2024

अधिसूचना :-
6824

पटना, दिनांक - 27.6.25

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत कार्य प्रमंडल, जमुई के अधीन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पथ " अमीन खैरा पथ से ढाब पथ" की जाँच, अधीक्षण अभियंता शोध एवं विकास की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 31.12.2023 को की गई। निरीक्षण में पथ का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 31 दिनांक 04.01.2024 द्वारा कार्य से संबंधित श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-918, दिनांक 03.04.2024 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितता के लिए श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1440 दिनांक 29.05.2024 द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

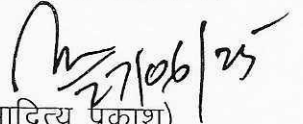
2. संयुक्त सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 20 अनु० दिनांक 31.01.2025 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 3748 दिनांक 02.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर अपना लिखित अभिकथन/निवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या-4728 दिनांक 29.04.2025 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

4. श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की तकनीकी समीक्षा अभियंता प्रमुख से करायी गयी। अभियंता प्रमुख द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त के आलोक में मामले में समग्र समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

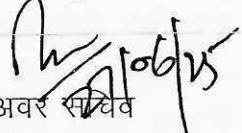
अतएव श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

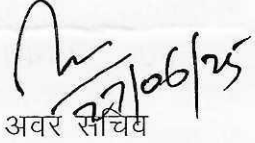
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-1-01/2024 6825 /पटना, दिनांक:- 27-6-25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

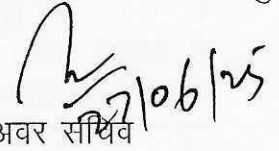
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-1-01/2024 6825 /पटना, दिनांक:- 27-6-25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, गया/श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जौंच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, गया /अवर सचिव, प्रशाखा-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-1-01/2024 6825 /पटना, दिनांक:- 27-6-25

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव